संख्या-29/2015/क0नि0-4-603/11-2015-2(01)/2012

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर,

वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊ::दिनांक 25 जून, 2015**

विषय:- वाणिाज्य कर कार्यालय बुलन्दशहर, नवीन भवन (बाबू बनारसी दास जन सेवा ट्रस्ट, बुलन्दशहर) का किराया भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सम्पत्ति-किराया/भ0प0-बुलन्दशहर-नया प्रस्ताव/14-15/429/वाणिज्य कर, दिनांक-24 मार्च, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बुलन्दशहर के वाणिज्य कर कार्यालय हेतु नवीन भवन, बाबू बनारसी दास जन सेवा ट्रस्ट, बुलन्दशहर में उपलब्ध 4691.13 वर्ग फुट कारपेट एरिया को कब्जा लेने की तिथि से आगामी 05 वर्षों अथवा भवन रिक्त किये जाने तक जो भी पहले हो, की अवधि हेतु रू0-65,490.00 (रूपये पैंसठ हजार चार सौ नब्बे मात्र) प्रति माह की दर से किराये पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त प्रयोजन हेतु करार विलेख निर्धारित प्रपत्र पर विभाग के स्थानीय प्राधिकारी एवं भवन स्वामी के मध्य निष्पादित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत 'लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के अन्तर्गत मद संख्या-17-किराया, उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व' के नामें डाला जायेगा।

4- भवन का जलकर व जल निकासी कर विभाग द्वारा देय होगा एवं अन्य सभी दायित्व भवन स्वामी के होंगे।

भवदीय,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा

अनु सचिव।

संख्या-29/2015/क0नि0-4-603(1)/11-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- जिलाधिकारी, बुलन्दशहर/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बुलन्दशहर ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 ।

5- श्री अरूण शर्मा, सचिव, बाबू बनारसी दास जन सेवा ट्रस्ट, बुलन्दशहर ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

धीरेन्द्र कुमार वर्मा

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।